

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण
सामान्य प्रशासन विभाग

सं.सं : जीएडी/पीसी-बी/3(1)/2023/ 01365

दिनांक : 09/06/2023

कार्यालय आदेश सं.10 /2023

विषय : बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के संबंध में ।

दिनांक 25.05.2023 को मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ हुई बैठक के दौरान अध्यक्ष ने अनुरोध दिया है कि उप विभागाध्यक्ष स्तर तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, संदर्भ सं. जीएडी/पीसी-बी/3(1)/2023/2494 दिनांक 13/01/2023 के तहत जारी कार्यालय आदेश संख्या 01/2023 के खंड सं. 2 (iv) को हटाकर निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है: -

“उप विभागाध्यक्ष स्तर तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को नियोजित समयानुसार बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।“


3. सभी अधिकारी/कर्मचारी, लंच/डिनर ब्रेक को छोड़कर, जैसा कि कर्मचारियों के वर्गों के लिए निर्दिष्ट किया गया है, जब भी कार्यालय परिसर से बाहर जाते हैं, तब वे बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अपना आउट और इन टाइमिंग दर्ज करेंगे।

4. सभी पत्तन अधिकारी/कर्मचारी सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगे कि बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करते समय वे समय की पाबंदी का ध्यान रखते हैं ।

5. दिनांक 13.01.2023 के कार्यालय आदेश की अन्य सभी विषय-वस्तु अपरिवर्तनीय रहेगी।

6. यह आदेश 15 जून, 2023 से लागू होगा।

7. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(एस. पी. मोहन कुमार)
सचिव

सेवा में,
सभी विभागाध्यक्ष/एमपीए

प्रतिलिपि:- 1. अध्यक्ष के पटल हेतु
2. उपाध्यक्ष के पटल हेतु
3. उप कमांडंट/सीआईएसएफ
4. अध्यक्ष, एमपीए ऑफिसर्स असोशिएशन
5. अध्यक्ष, जीपीडीई यूनियन
6. अध्यक्ष, एमपीआरडल्यू यूनियन

MORMUGAO PORT AUTHORITY
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Ref.No.: GAD/PC-B/3(1)/2023/01365

Date: 09/06/2023

OFFICE ORDER NO. 10/2023

Sub: Biometric Attendance System – regarding.

During the meeting held with the recognized unions on 25.05.2023, the Chairperson has instructed that all Port employees/officers including officers at the level of Dy. HODs and above should invariably register their attendance in the Biometric Attendance System.

2. In view of the above, Clause no. 2 (iv) of Office Order No. 01/2023, Ref. No. GAD/PC-B/3(1)/2023/2494 dated 13/01/2023 is deleted and replaced by the following :-

“All officers/employees including officers at the level of Dy. HODs and above should invariably register their attendance as per the scheduled timing in the Biometric Attendance System.”

3. All officers/employees whenever they leave the office premises except for lunch/dinner break, as specified to categories of employees, they shall register their out and in timings in the Biometric Attendance System.

4. All Port officers/employees shall strictly ensure that they maintain punctuality while registering their day-to-day attendance in Biometric Attendance System.

5. All other contents of the Office Order dated 13.01.2023 will remain unchanged.

6. This Order shall come into force with effect from 15th June, 2023.

7. This issues with the approval of the competent authority.


(S.P. Mohan Kumar)
SECRETARY

To,
All HODs/MPA.

- c.c. to: 1. Chairperson's table
2. Dy. Chairperson's table
3. Dy. Commandant/CISF
4. The President, MPT Officers Association
5. The President, GPDE Union
6. The President, MP&RW Union